

पत्रांक / /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि-अनुभाग/पत्रा0 /15-16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि-अनुभाग)

दिनांक:: देहरादून :: 12 अगस्त 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी पत्र संख्या 675/2015/14(120)xxvii-8/06 दिनांक 10 अगस्त, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अविभाजित सिविल एवं संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिये एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

2535

पु0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊं जोन रुद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों/ बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 8- ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 9- श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 11- आई0टी0-अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12-Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13- आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई-400001 महाराष्ट्र।
- 13-डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 14-अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 15-प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।
- 16- दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
- 17- प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81-मोती बाजार देहरादून।
- 18- The whole sale dealers Association 14-आढ़त बाजार देहरादून।
- 19- प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 20- कार्यालय अधीक्षक/विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 21-समस्त अनुभाग अधिकारी

  
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर  
मुख्यालय देहरादून

प्रेषक,  
अमित नेगी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड।

विभाग: वित्त (अनुभाग-8)

देहरादून:: दिनांक:: 10 अगस्त, 2015

विषय: अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2016 तक की अवधि के लिये एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं० 1595 दिनांक 20 जून, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2016 तक की अवधि के लिये मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अन्तर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2016 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से सम्बन्धित शासन के निर्देश, प्रार्थना पत्र एवं शपथ-पत्र के प्ररूप आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया इन योजनाओं का अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

✓  
4865  
11/8/15

.....अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें  
अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून

भवदीय,  
(अमित नेगी)  
सचिव।

शासन के निर्देश

सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि हेतु एकमुश्त समाधान राशि निश्चित किए जाने के सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश :-

शासन ने यह निर्णय लिया है कि अविभाजित सिविल संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में सिविल संकर्म संविदाकारों एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में विद्युत संविदाकारों द्वारा देय कर की राशि के विकल्प के रूप में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार की जाए:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध :-

(1) सिविल संविदाकार से तात्पर्य ऐसे पंजीकृत संविदाकार से है जो निम्नांकित प्रस्तर-क में उल्लिखित कार्य को करते हैं अथवा प्रस्तर-क में उल्लिखित कार्य के लिए हुई संविदा के अधीन प्रस्तर-क के कार्य के साथ-साथ प्रस्तर-ख, ग, घ और ङ में उल्लिखित कोई कार्य या समस्त कार्य करते हैं-

(क) सिविल कार्य जैसे कि भवनों, पुलों, सड़कों, बांधों, शेड्स, बैराजों, काजवे, उत्पलमार्ग (स्पिलवेज), डाईवर्जनों का निर्माण, मरम्मत तथा ड्रेनेज व सिवरेज से सम्बन्धित कार्य।

(ख) स्ट्रैक्चर, दरवाजे, खिड़की, फ्रेम, गिल्स, शटर्स तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुयें यदि वह संविदा स्थल पर बनाकर उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये।

(ग) टाइल, स्लैब, पत्थरों, तथा शीट्स आदि का लगाना यदि वह उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये।

(घ) उपरोक्त (क) में अंकित संविदा कार्यों का विद्युतीकरण तथा प्लम्बिंग से सम्बन्धित सभी कार्य।

(ङ) भवनों की रंगाई व पुताई का कार्य।

(2) विद्युत संविदाकार से तात्पर्य ऐसे पंजीकृत संविदाकार से है जो निम्न में से कोई कार्य या समस्त कार्य करते हों:-

(क) भवनों के अन्तः या बाह्य वायरिंग जिसमें बिजली के पोल, केबिल, ओवर हैड लाईन, स्ट्रीट लाईट की लाईटनिंग एवं स्थापना शामिल है;

(ख) मैन स्विच, डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड, कन्ट्रोल पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना;

(ग) ट्यूब फिटिंग्स, लैम्प शेड्स, ब्रेक्रेट्स की आपूर्ति एवं स्थापना तथा पंखों की स्थापना;

(घ) ऊर्जा वितरण उपकरण अर्थात् स्विच गेयर, पैनल डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड की आपूर्ति एवं स्थापना;

(ङ) अर्थिंग उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना;

(च) विद्युत अधिष्ठानों/ उपकरणों की मरम्मत हेतु उक्त सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना।

(3) सिविल संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि का आंगणन :

अविभाजित सिविल संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान राशि का आंकलन, संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि में से संविदा द्वारा आपूर्ति किये गये ऐसे माल, की धनराशि के घटाने के पश्चात् प्राप्त धनराशि पर की जायेगी जिसका उल्लेख संविदा में हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिस सिविल संविदा में मिट्टी का

कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमें संविदाकार को प्राप्त होने वाली राशि में से अर्थवर्क के सम्बन्ध में संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली राशि को घटा दिया जायेगा तथा अवशेष राशि पर समाधान राशि की गणना निम्न दर से की जायेगी:-

सिविल संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि की दर :-

(क) ऐसे मामले जिनमें सिविल संविदाकार द्वारा प्रदेश के अन्दर के ब्यौहारियों से माल का कय करके संविदा कार्य में इनका अन्तरण किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से की जायेगी और ऐसे संविदाकारों को, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 11 के होते हुए भी, त्रैमासिक रूपपत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल संबंधित करनिर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून तक नियम 11 में निर्धारित प्रारूप में व रीति से वार्षिक रूपपत्र दाखिल करना होगा, परन्तु समाधान राशि का भुगतान नियम 11 में दी गयी रीति एवं समय के अनुसार ही करेगा होगा;

परन्तु यह कि, मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;

परन्तु यह और कि, उक्त के होते हुए भी यदि उप संविदाकार द्वारा उप संविदा के निष्पादन हेतु कोई आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और उप संविदाकार द्वारा उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल का मूल्य, सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत तक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 4 प्रतिशत की दर से और यदि ऐसे आयातित माल का मूल्य सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 6 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(ख) जिन मामलों में सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) में वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उराके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि का 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो तो समाधान राशि की गणना, उक्तानुसार आगणित राशि का 4 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रों की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम 11 में निर्धारित है;

परन्तु यह कि, मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;

परन्तु यह और कि, उक्त के होते हुए भी यदि उप संविदाकार द्वारा उप संविदा के निष्पादन हेतु कोई आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और उप संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल का मूल्य तथा मुख्य संविदाकार द्वारा संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल के मूल्य का योग यदि सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत तक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 4 प्रतिशत की दर से देय होगी और यदि ऐसा योग, सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल

धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है, तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 6 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(ग) जिन मामलों में सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) में वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रों की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर किया जायेगा, जैसा कि नियम 11 में निर्धारित है।

परन्तु यह कि मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;

विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि की गणना एवं उसकी दर :

(घ) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के शून्य प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया हो, उसमें समाधान राशि की गणना, सम्पन्न संविदा की धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रों की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम 11 में निर्धारित है;

परन्तु यह कि मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;

परन्तु यह और कि, उक्त के होते हुए भी यदि उप संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा के निष्पादन हेतु कोई आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और उप संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल का मूल्य तथा मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल के मूल्य का योग सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 6 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(ङ) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा में की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का प्रयोग किया हो, उसमें समाधान राशि की गणना, सम्पन्न संविदा की सकल राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रों की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम 11 में निर्धारित है;

परन्तु यह कि मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी;



**स्पष्टीकरण :** जहाँ तक दिनांक 01-04-2015 से पूर्व की संविदाओं के विरुद्ध इस योजना की अवधि में प्राप्त भुगतान राशि का संबंध है, उस पर नियमानुसार पूर्व समाधान योजना के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समाधान राशि की गणना की जायेगी, क्योंकि संविदाकारों द्वारा तत्समय लागू समाधान योजना के अनुसार अनुबन्ध किया गया था।

(4) (i) ऐसा संविदाकार जिसके द्वारा 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि का विकल्प लिया गया है, द्वारा या उनके उपसंविदाकार द्वारा आयात कर माल का प्रयोग किया जाए तो, यदि संविदाकार व उपसंविदाकार द्वारा कुल संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत तक आयात कर प्रयोग किया जाता है, तो समाधान राशि की गणना सकल राशि की 4 प्रतिशत की दर से होगी। एवं यदि संविदाकार व उपसंविदाकार द्वारा कुल संविदामूल्य का 5 प्रतिशत से अधिक का आयात कर प्रयोग किया जाता है, तो समाधान राशि की गणना सकल राशि की 6 प्रतिशत की दर से होगी। इस प्रकार की गणना होने पर संविदाकार को समाधान राशि ब्याज सहित जमा करनी होगी।

(ii) ऐसा संविदाकार, जिसके द्वारा संविदा के निष्पादन में आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और जिसके द्वारा 4 प्रतिशत की दर से समाधान राशि का विकल्प लिया गया है, के द्वारा सम्पन्न संविदा की धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का आयात करके संविदा में प्रयोग किया गया है अथवा उसके द्वारा एवं उसकी उप संविदाकार द्वारा प्रयोग किये गये आयातित माल का योग, सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे मुख्य संविदाकार सम्पन्न संविदा के निष्पादन में प्राप्त होने वाली सकल धनराशि पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि (ब्याज सहित) जमा करेंगे।

परन्तु प्रतिबन्ध है कि, किसी संविदा के लिए एक बार उच्चतर दर से समाधान राशि का विकल्प अपनाने वाले संविदाकार को बाद में उस संविदा हेतु निम्नतर दर की समाधान राशि का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) योजना का विकल्प अपनाने वाले 'संविदाकार' निर्माण हेतु प्रान्त बाहर से मशीनरी आदि का आयात करके प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु इनका हस्तान्तरण किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। यदि कार्य समाप्त होने के उपरान्त उक्त आयातित मशीनरी आदि की बिक्री अथवा उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण किया गया हो, तो उस पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कर देय होगा।

(5) जो धनराशि, धारा 35 के प्राविधानों के अन्तर्गत संविदा द्वारा काटी जा चुकी है, उसके संबंध में नियम 21(6) में निर्धारित प्रमाण-पत्र (TDS Certificate) देने पर, कटौती की गयी धनराशि को समाधान राशि में समायोजित किया जा सकेगा।

(6) संविदाकार को अनुबन्ध वार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण, वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किये जाने वाली वार्षिक विवरणी के साथ, प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदाकार जॉच के दौरान आयातित माल का प्रयोग, अनुबन्ध के निस्तारण में किया जाना प्रमाणित नहीं कर पाता है तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाड़ा तथा अन्य खर्चों को जोड़ते हुए आयी धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए ऐसे माल की बिक्री निर्धारित की जायेगी तथा उस पर नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा। साथ-साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(7) संविदा के निष्पादन में अन्तरित होने वाले माल के अतिरिक्त किसी माल की बिक्री पर नियमानुसार कर देय होगा।

(8) समाधान योजना को अपनाने वाले संविदाकार या उप संविदाकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय नहीं होगा।

(9) यह योजना वैकल्पिक होगी। जो संविदाकार इसे नहीं अपनायेंगे उनका नियमित करनिर्धारण किया जायेगा। जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते हैं वह इस हेतु निर्धारित प्रारूप 723 में प्रार्थना-पत्र, संविदा की तिथि से 90 दिन के अन्दर, अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये भुगतान पर उपरोक्तानुसार आगणित समाधान राशि, प्रार्थना पत्र के साथ जमा की जायेगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसे अगले 90 दिन के अन्दर, देय समाधान राशि तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(10) समाधान राशि निश्चित समय के अन्दर जमा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा।

(11) किसी संविदाकार को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी सम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प ले। जिन संविदाकारों द्वारा पूर्व वर्ष में समाधान योजना का लाभ प्राप्त किया गया है उन्हें अगले वर्ष संविदा कार्य चालू रहने की स्थिति में उस संविदा के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(12) समाधान योजना में शामिल होने संबंधी प्रार्थना-पत्र दाखिल करने से पूर्व संविदाकार को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा संविदाकारों पर लगाए जाने वाले कर, स्रोत पर कटौती के बारे में उच्च/ उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं की गई है और यदि दायर की गई है तो वापस ले लिया गया है, तत्पश्चात् ही वह समाधान योजना की पात्रता में आएगा।

(13) धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

(14) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 में भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जा सकेगी तथा साथ ही साथ धारा 58 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकेगी।

(15) यदि किसी संविदाकार से धारा 35 के अन्तर्गत की गयी कटौती की धनराशि उसके द्वारा देय समाधान राशि से अधिक हो तो अधिक जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

(16) उप संविदा पर कार्य करने की दशा में उप संविदाकार, "कमिश्नर" द्वारा निर्धारित प्ररूप, रीति एवं समयवधि में मुख्य संविदाकार को ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा जिसमें संविदा का विवरण, सम्पन्न उप संविदा हेतु मुख्य संविदाकार से प्राप्त धनराशि एवं सम्पन्न उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल की राशि, अपना टिन एवं मुख्य संविदाकार का टिन एवं वे अन्य



विवरण अंकित करने होंगे, जैसा कि कमिश्नर द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसा प्रमाण पत्र मुख्य संविदाकार द्वारा संबंधित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसे समयावधि एवं रीति में प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि, "कमिश्नर" द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

एवं मुख्य संविदाकार द्वारा उप संविदाकार को कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्ररूप, रीति एवं समयावधि में ऐसा प्रमाण पत्र, उप संविदाकार को उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें संविदा का विवरण, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा हेतु उप संविदाकार को भुगतान की गयी धनराशि, मुख्य संविदाकार एवं उप संविदाकार का टिन एवं वे अन्य विवरण अंकित होंगे, जैसा कि कमिश्नर द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसा "प्रमाण पत्र" संबंधित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसी समयावधि एवं रीति में प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि "कमिश्नर" द्वारा निर्धारित किया जाय।

उप संविदाकार, उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र अपने करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके ही अपने कर दायित्वों से मुक्ति पा सकेगा। उप संविदा पर कार्य कराने की दशा में मुख्य संविदाकार द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र अपने करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करने की दशा में करनिर्धारण अधिकारी, उसके द्वारा आवेदित समाधान राशि की दर से उच्चतर दर पर उसकी समाधान राशि की देयता आंकलित कर सकेगा।

(17) यदि, पाया जाता है कि संविदाकार द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र/ शपथ-पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया है तो कर निर्धारक प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में संविदाकार से हुए अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार करनिर्धारण की कार्यवाही कर सके।

(18) संविदा की प्रकृति एवं संविदाकार के वर्ग के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य निर्देश दे सकते हैं।

(19) योजना को व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं एवं आवश्यक व्यवस्था लागू कर सकते हैं एवं "प्रमाण पत्र" का प्ररूप निर्धारित कर सकता है।

(20) किसी वित्तीय वर्ष से योजना को बिना कारण बताये समाप्त करने अथवा योजना की निर्धारित समाधान धनराशि में बढ़ोत्तरी करने अथवा अन्य किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा किन्तु जिस दिन से राज्य सरकार समाधान योजना न लागू करने का निर्णय लेती है उस दिन तक प्रारम्भ की गई संविदाओं के कार्य पर तत्समय लागू योजना का लाभ उस संविदा के सम्बन्ध में दिया जायेगा और उस दिन के बाद की संविदाओं से सम्बन्धित कार्य पर नए प्राविधान लागू होंगे।



**विकल्प प्रार्थना पत्र (प्रारूप 723)**

अविभाजित सिविल संकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदा के लिये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में, शासन द्वारा जारी समाधान योजना के अन्तर्गत देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प अपनाने के संबंध में

सेवा में,

असिस्टेंट कमिश्नर/कर निर्धारक प्राधिकारी  
खण्ड

महोदय,

1. मैं सर्वश्री .....जिसका मुख्यालय.....  
पता.....स्थित है और जिसका टिन सं०.....जो दिनांक .....से  
प्रभावी है अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत टिन प्राप्त करने के लिए दिनांक.....  
को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी/साझीदार/.....(प्रारिथति)  
हूँ तथा यह विकल्प प्रार्थना पत्र अपनी उपरोक्त फर्म/ रांस्था की ओर से वर्ष .....  
.....के लिए धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अविभाजित संकर्म संविदा हेतु देय कर  
के बदले समाधान राशि का विकल्प अपनाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. संबंधित अविभाजित संकर्म संविदाओं एवं उन हेतु मेरे द्वारा अपनायी जाने वाली समाधान राशि की दर के विकल्प के विवरण निम्नप्रकार है :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	संविदी का नाम व पता	संविदी की TDAN सं०	संकर्म संविदा/ अनुबन्ध की सं० एवं दि०	संविदा की सकल धनराशि ( )	संविदा की अवधि	संविदा की प्रकृति i) अविभाजित सिविल संविदा अथवा ii) अविभाजित विद्युत संविदा	संविदा निष्पादन का स्थल	समाधान राशि की दर जिसका विकल्प लिया गया
1								
2								
योग								

10	11	12	13	14	15	16	17
प्राप्त भुगतान ( )	भुगतान का दिनांक	देय समाधान राशि	TDS ( )	TDS समायोजन के उपरान्त देय राशि	जमा का चालान सं० व दि०	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का विवरण	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का मूल्य

*(Handwritten Signature)*

3. उपरोक्त संविदा पर देय समाधान राशि मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है अथवा संविदा द्वारा कटौती कर ली गयी है।
  4. प्रस्तर दो में अंकित विवरण के अतिरिक्त मुझे न तो कोई संविदा मिली है और न ही मैंने संविदा संबंधी कोई भुगतान प्राप्त किया है।
  5. उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायलय में मेरे द्वारा इस विषय में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गयी है।
  6. शासन द्वारा निर्गत समाधान योजना एवं उसकी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को मैंने एवं हितबद्ध अन्य सभी ने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म/संस्था के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है और वे हम पर बाध्यता है।
  7. इस प्रार्थना के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।
  8. प्रस्तर 2 में अंकित संविदाओं/ अनुबन्धों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
  9. मैं उक्त फर्म द्वारा की गयी माल के स्वामित्व के अन्तरण पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों तथा शासन के निर्देशों के अधीन संलग्न शपथ-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ।
- संलग्नक- (1) शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र  
(2) प्रस्तर 2 में अंकित समस्त संविदाओं/ अनुबन्धों की प्रमाणित प्रतियाँ।

### घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना-पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं। उनमें कोई भी गलत या अपूर्ण नहीं है और न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

### प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म ..... के स्वामी / साझीदार / ..... हैं तथा इस प्रार्थना-पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम.....

पूरा पता.....



**शपथ-पत्र/अनुबन्ध पत्र (प्रारूप 724)**

अविभाजित सिविल संकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदा के लिये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में, शासन द्वारा जारी समाधान योजना के अन्तर्गत देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प अपनाने के संबंध में

मैं ..... आयु..... पुत्र श्री .....  
निवासी(स्थाई)..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ -

1. कि मैं सर्वश्री ..... जिसका मुख्यालय.....  
पता..... स्थित है और जिसका टिन सं०..... जो दिनांक ..... से  
प्रभावी है अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत टिन प्राप्त करने के लिए दिनांक.....  
को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी/साझीदार/..... (प्रारिथति)  
हूँ तथा यह शपथ-पत्र अपनी उपरोक्त फर्म/ संस्था की ओर से वर्ष .....  
के लिए धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अविभाजित संकर्म संविदा हेतु देय कर के बदले  
समाधान राशि के विकल्प संबंधी प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. कि संबंधित अविभाजित संकर्म संविदाओं एवं उन हेतु समाधान राशि की दर के विकल्प का विवरण निम्नप्रकार है :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	संविदी का नाम व पता	संविदी की TDAN सं०	संकर्म संविदा/ अनुबन्ध की सं० एवं दि०	संविदा की सकल धनराशि ( )	संविदा की अवधि	संविदा की प्रकृति i) अविभाजित सिविल संविदा अथवा ii) अविभाजित विद्युत संविदा	संविदा निष्पादन का स्थल	समाधान राशि की दर जिसका विकल्प लिया गया
1								
2								
योग								

10	11	12	13	14	15	16	17
प्राप्त भुगतान ( )	भुगतान का दिनांक	देय समाधान राशि	TDS ( )	TDS समायोजन के उपरान्त देय राशि	जमा का चालान सं० व दि०	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का विवरण	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का मूल्य

3. कि उपरोक्त संविदा पर देय समाधान राशि जमा कर दी गयी है अथवा संविदा द्वारा कटौती कर ली गयी है।
4. कि प्रस्तर दो में अंकित विवरण के अतिरिक्त मुझे न तो कोई संविदा मिली है और न ही मैंने संविदा संबंधी कोई भुगतान प्राप्त किया है।
5. कि उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायलय में मेरे द्वारा इस विषय में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गयी है।
6. शासन द्वारा निर्गत समाधान योजना एवं उसकी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को मैंने एवं हितबद्ध अन्य सभी ने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म/संस्था के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है और वे हम पर बाध्यता संलग्न-शासन द्वारा जारी समाधान योजना।

### घोषणा

मैं .....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर 1 से 6 तक के अन्तर्गत दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास से सम्पूर्णतया सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र तथा उसके संलग्नक एवं अनुलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और दिशा निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर शपथकर्ता.....

नाम.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....

समय.....

समय.....

स्थान.....

स्थान.....

दिनांक.....

दिनांक.....

